

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 454]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 14 अगस्त 2018—श्रावण 23, शक 1940

विधि और विधायी (निर्वाचन) कार्य, विभाग

भोपाल, दिनांक 14 अगस्त 2018

फा. क्र. 56-वि. निर्वा.-3-2018-161.—भारत निर्वाचन आयोग की निम्नलिखित अधिसूचना सर्व-साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित की जाती है:—

1. No. 429/MP/2011 (2) dated 03rd August, 2018
2. संख्या 429/म. प्र./2011 (2) दिनांक 03 अगस्त, 2018.

संदीप यादव, सचिव.

भारत निर्वाचन आयोग

निर्वाचन सदन, अशोक रोड, नई दिल्ली—110 001

नई दिल्ली, दिनांक 3 अगस्त, 2018—12 श्रावण, 1940 (शक)

अधिसूचना

सं. 429-म. प्र.-2011 (2):— लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (1950 का 43) की धारा 13 (ग) की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत निर्वाचन आयोग एतद्वारा, मध्यप्रदेश राज्य के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी की नियुक्ति से सम्बन्धित, समय-समय पर यथा संशोधित अपनी अधिसूचना संख्या 429-म.प्र.-2011 (2), दिनांक 16 सितम्बर, 2011 में और संशोधन करता है, अर्थात्:—

उक्त अधिसूचना की संलग्न सारणी के स्तम्भ (2) में, नीचे दिये गये विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के सामने विद्यमान प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित सारणी के स्तम्भ (2) की तदनुसूची प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएंगी:—

सारणी

| विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक एवं नाम<br>(1) | सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी<br>(2)      |
|--|---|
| 191-अलीराजपुर (अ.ज.जा.)                              | तहसीलदार, अलीराजपुर<br>तहसीलदार, सोण्डवा        |
| 192-जोबट (अ.ज.जा.)                                   | तहसीलदार, जोबट<br>तहसीलदार, चन्द्रशेखर आजाद नगर |

आदेश से,  
हस्ता./-  
(अनुज जयपुरियार)  
प्रधान सचिव  
भारत निर्वाचन आयोग.

ELECTION COMMISSION OF INDIA

Nirvachan Sadan, Ashoka Road, New Delhi—110 001

New Delhi, Dated 03rd August, 2018—12 Shrawana, 1940 (SAKA)

NOTIFICATION

No. 429-MP-2011-(2),—In exercise of the powers conferred by Sub-Section (1) of Section 13C of the Representation of People Act, 1950 (43 of 1950), the Election Commission of India hereby, makes further amendments in its Notification No. 429-MP-2011-(2) dated 16th September, 2011, as amended from time to time, relating to appointment of Assistant Electoral Registration Officers of Assembly Constituencies in the State of Madhya Pradesh namely;

In column (02) of the Table appended to the said Notification, the existing entries mentioned against the name of Assembly Constituency given below shall be substituted with the corresponding entries in column (2) of the Table below:—

TABLE

| No. & Name of Assenbly Constituency<br>(1) | Assistant Electoral Registration Officer<br>(2)          |
|--|--|
| 191-Alirajpur (ST)                         | Tehsildar, Alirajpur<br>Tehsildar, Sondawa               |
| 192-Jobat (ST)                             | Tehsildar, Jobat<br>Tehsildar, Chandrashekhar Azad Nagar |

By order,  
Sd./-  
(ANUJ JAIPURIAR)  
Principal Secretary  
Election Commission of India